2017/00011

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 03/2017

प्रार्थीगण
बाबुलाल पुत्र राणाराम जाति दर्जी निवासी सिणली जागीर तहसील,पचपदरा

बनाम

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत सिणली जागीर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर तहसील पचपदरा
2.घेवरचन्द पुत्र सोमराज
3.जसराज पुत्र रणछोड़राज जातियान पालीवाल निवासी सिणली जागीर तहसील पचपदरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 42 दिनांक 25.11.2015 जो ग्राम पंचायत,सिणली जागीर द्वारा अप्रार्थी सं.02 व 03 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः–1.श्री पवन सिंहल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2.श्री कपिल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 20.06.2018

1- संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 घेवरचन्द पुत्र सोमराज व जसराज पुत्र रणछोड़राज जाति पालीवाल निवासी सिणली जागीर ने सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम सिणली जागीर की आबादी भूमि में उसकी 1500 वर्ग फीट भूमि आयी हुई है। जिसका विक्रय विलेख हासिल करवाना चाहता हूँ। इसलिये भूमि का विक्रय विलेख प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत सिणली जागीर ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 42 दिनांक 25.11.2015 को जारी किया। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को जारी पट्टा की भूमि उसके स्वामित्व व कब्जा की भूमि है, जिस पर नियमो में निर्धारित प्रकिया को नहीं अपना कर, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में गलत पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने गलत एंव नियम विरूद्ध पट्टा जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की।

2- हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिणली जागीर से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी उपस्थित हुए। जिन्होंने जवाब पेश कर निगरानी के पद संख्या 08(i) से (ix) गलत होने से अस्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को नियमानुसार पट्टा जारी होना बताते हुए प्रार्थी की निगरानी मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

3- पक्षकारान के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता लिखित बहस मं बताया कि प्रार्थी के स्वामित्व एंव आधिपत्य का एक रहवासी परिसर मौजा सिणली जागीर में उतर दक्षिण–पश्चिमी भुजा 78 फीट,उतर दखिण–पूर्वी भुजा 70(त्रिभुजकार स्थिति में), पूर्व पश्चिम उतर भुजा 35 फीट एंव पूर्व पश्चिम दक्षिण भुजा 40 फीट जिसके उतर में ओमाराम पुत्र चैनजी सुथार का कब्जा सुदा भूखण्ड,दक्षिण में कालुडी नाकोडा जाने वाली सड़क, पूर्व में ओमाराम पुत्र चैनजी सुथार का रहवासी मकान एंव पश्चिम में आम रास्ता 20 फीट आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का पिछले 35 वर्षो से कब्जा है। भूखण्ड के कुछ भाग पर प्रार्थी का रहवासी मकान बना हुआ है एंव दक्षिण की तरफ स्थित कुछ भूखण्ड खाली पड़ा है जहॉ प्रार्थी द्वारा निर्माण हेतु खड्डे व सोलिंग डलवाई गई है। प्रार्थी के आधिपत्य व स्वामित्व के भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 02 व 03 द्वारा दखलदांजी करने पर प्रार्थी ने सरपंच कार्यालय में शिकायत की गई जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा को शिकायत करने पर विकास अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण मामले की जॉच की गई। जॉच में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रार्थी के आधिपत्य व स्वामित्व के भूखण्ड के कुछ भाग पूर्व पश्चिम 75 फीट व उतर दक्षिण 20 फीट का एक पट्टा जरिये मिसल संख्या 40 पट्टा संख्या 42 दिनांक 25.11.2015 को अपने पक्ष में जारी करवाया।इसके अलावा प्रार्थी द्वारा विवादित पट्टे के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध पुलिस थाना बालोतरा में परिवाद पेश किया गया जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने मौके पर भूमि को खाली होना बताया है, और पट्टे में वर्णित नाप व पाड़ोस के अनुरूप मौके पर कोई भूखण्ड विधमान नहीं होना बताया है और अप्रार्थी संख्या 03 का आधिपत्य वादग्रस्त भूखण्ड के पश्चिम में दर्शाया है जहॉ अप्रार्थी संख्या 03 जसराज की दुकान बताई गई है जिससे अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध जाररी पट्टा गलत व नियम विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि पट्टा जारी करने की कार्यवाही में जो आदेशिका निष्पादित की गई है,वह छपी–छपाई काम में लेकर आवेदन की प्रकिया से लेकर अंतिम आदेशिका का अंकन एक ही दिन में किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने किस तारीख को आवेदन किया प्रस्तुतीकरण की तारीख अंकित नहीं है। नियम 1996 के नियम 145 के तहत आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण एंव नक्शा तैयार करने हेतु 25/–25/– की राशि जमा नहीं कराई है। अप्रार्थीगण के भूखण्ड का मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। आक्षेप नोटिस जारी किया गया है, उसके चस्पा होने का अंकन नहीं किया गया है। उन्होने यह भी तर्क दिया कि ग्राम पंचायत ने आर्डर शीट में अप्रार्थीगण को नियम 157(ख) के

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

तहत पट्टा जारी करना बताया है जबकि पट्टा नियम 157(2) के अन्तर्गत जारी किया गया है। नियम 157(ख) के तहत 50 वर्षा से पूर्व निर्मित मकानो पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है,जबकि मौके पर कोई निर्मित मकान नहीं है। ऐसी स्थिति में नियम 157(ख) की अनदेखी कर आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 व 03 के पक्ष में नियम 145 से 157 के विरूद्ध जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 25.11.2015 को निरस्त किया जाए।

4- अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में बताया कि ग्राम पंचायत सिणली जागीर की ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.07.2015 एंव प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 21.11.2015 की पालना में पट्टा संख्या 42 दिनांक 25.11.2015 को पंचायत द्वारा नियम 156 और 157 के तहत जारी किया गया है।पंचायत के आदेश की अपील उक्त अधिनियम की धारा 61 के तहत सम्बन्धित पंचायत समिति में अपील पेश करने का प्रावधान है जबकि निगरानीकर्ता ने अपील नहीं करके सीधी निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की है, जो चलने योग्य नहीं है। किसी पंचायत के आदेश या निर्देश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा धारा 60 में 30 दिन निर्धारित की गई है और अपील में पारित आदेश का पुनरीक्षण का आवेदन पेश करने की परिसीमा धारा 59(1)में 03 माह की परिसीमा निर्धारित की गई इसके अलावा परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 131 के तहत पुनरीक्षण के लिये 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। जबकि उपरोक्त धाराओ को अनदेखा करके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा निर्धारित नहीं होना कई निर्णयो में अभिनिधारित किया गया है और उक्त प्रावधानो की व्याख्या गलत की गई है। निगरानी कर्ता बाबुलाल के वादग्रस्त भूमि का न तो पट्टा है और न ही कब्जा है और न ही स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज इस निगरानी मे पेश किये है। इसलिये प्रार्थी निगरानी पेश करने की लोकस स्टेण्डी नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की निगनानी प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज करने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमो की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अप्राथी द्वारा आबादी भूमि में उनके कब्जा सुदा पैतृक भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिणली जागीर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर पत्रावली कायम कर 3 पंचो की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका निरीक्षण के समय गवाहान हुसैन खा,मूलाराम के बयान और घेवरचन्द,चैनाराम व जसराज के शपथ बतौर साक्ष्य के लिये थे, नोटिस जारी किया गया है। इसके पश्चात् आपतियां आमंत्रित की गई थी। मगर कोई उजरदारी पेश नहीं हुई। मौका कमेटी की अनुशंसा,शपथ पत्र एंव अप्रार्थीगण के कब्जे के आधार पर उसका वादग्रस्त भूखण्ड पर पुराना कब्जा एंव मकान होने के आधार पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

नियम 157(ख)पुराने गृहों के नियमितिकरण के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। जारी पट्टा पंजीयन होने से खारिज नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत सिणली जागीर द्वारा नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने डीएनजे(RAJ)1997 पेज 751,आरजेटी 2012(1) पेज 178, 2015(4)डीएनजे (RAJ) पेज 1631 एंव आररआरटी 2018(1) के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए प्रार्थी की निगरानी निराधार एंव गलत होने से खारिज करने का निवेदन किया।

5- हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। ग्राम पंचायत सिणली जागीर से पट्टा से सम्बन्धित प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियां। ग्राम पंचायत सिणली जागीर ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पक्ष में 1500 वर्ग फीट का भूखण्ड पट्टा संख्या 42 जारी किया है। जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड क्रय/पट्टा प्राप्त करना चाहता हैं तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण के 25 रूपये की राशि जमा करानी चाहिये और स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु भी 25 रूपये जमा कराने चाहिये। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा रााशि जमा कराने का कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी का मकान बना हुआ है या नहीं ,अंकन नहीं है। नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में एक नोटिस व एक माह के भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करना था। इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है,मगर नोटिस किस किस स्थान पर चस्पा किया गया है,नोटिस पर अंकन नहीं है।ग्राम पंचायत की आज्ञाओ की सूची में यह पट्टा ग्राम पंचायत सिणली जागीर ने नियम 157(ख) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत 200/– वसूल कर जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियम 157(ख)अनुसार इन नियमो के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है। जबकि पत्रावली पर 50 वर्षो से मकान निर्मित होने का कोई साक्ष्य नही है। जिससे अप्रार्थी संख्या 02 व 03 नियम 157(ख) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 42 के अवलोकन से ग्राम पंचायत ने यह पटटा नियम 157(2) के तहत भूमि विक्रय अभिलेख राशि 66000/–सीआर नम्बर 217 दिनांक 25.11.15 वसूली कर जारी करना बताया है जबकि नियम 157(2) के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है,और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी,झोफडी,कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

है,अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के मुफत् विनियमितिकरण के हकदार होगें ऐसी भूमि का पटटा (प्ररूप 23 ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो परिवार की मुखिया हो। मगर अप्रार्थीगण इस श्रेणी में नहीं आते है। अतः नियम 157(2) के विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। विवादग्रस्त पटटे की भूमि के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विकास अधिकारी बालोतरा की जॉच रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रार्थी के आधिपत्य व स्वामित्व के भूखण्ड के कुछ भाग पूर्व पश्चिम 75 फीट व उत्तर दक्षिण 20 फीट का एक पट्टा जरिये मिसल संख्या 40 पट्टा संख्या 42 दिनांक 25.11.2015 को अपने पक्ष में जारी करवाना बताया है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा विवादित पट्टे के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध पुलिस थाना बालोतरा में प्रस्तुत परिवाद में अनुसंधान अधिकारी ने मौके पर भूमि को खाली होना बताया है और पट्टे में वर्णित नाप व पाड़ोस के अनुरूप मौके पर कोई भूखण्ड विधमान नहीं होना बताया है और अप्रार्थी संख्या 03 का आधिपत्य वादग्रस्त भूखण्ड के पश्चिम में दर्शाया है जहॉ अप्रार्थी संख्या 03 जसराज की दुकान बताई गई है जिससे भी अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध जारी पट्टा गलत व नियम विरूद्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सिणली जागीर ने पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड की विधिवत जॉच नहीं कर नियम 145 से 157 में निर्धारित प्रकिया की पालना नहीं कर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के हक में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

6- उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिणली द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 घेवरचन्द प व जसराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 25.11.2015 को खारिज किया जाता है।

(शिवप्रसाद एम नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर